## निरीक्षण टिप्पणी

| | | |
|---|---|---|
| निरीक्षण कर्ता का नाम | : | विजय किरन आनन्द |
| निरीक्षण कर्ता का पदनाम | : | जिलाधिकारी, एटा |
| निरीक्षण इकाई का नाम | : | नगर पालिका परिषद,एटा |
| निरीक्षण का दिनांकः | : | 17.02.2017 |

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांकः 17.02.2017 को पूर्वान्ह 12.00 बजे नगर पालिका परिषद,एटा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री सतीश पाल, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा, श्री रविप्रकाश श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी,एटा, श्री राजपाल सिंह, उप जिलाधिकारी, जलेसर, श्री मोहन सिंह, उप जिलाधिकारी, अलीगंज, श्री काशीनाथ पाण्डेय, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, जैथरा, श्री अनिल भाष्कर, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सकीट, श्री मनोज कुमार प्रियदर्शी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत राजा का रामपुर के साथ पालिकाध्यक्ष श्री राकेश गांधी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

**सफाई व्यवस्था**

नगर पालिका में सफाई व्यवस्था हेतु स्थायी, संविदा एवं सेवा प्रदाता के माध्यम सेकुल 270 सफाई कर्मचारी तैनात है। पालिका को सफाई की दृष्टि से जौन विकसित नहीं किया गया है, और न ही कूड़ा प्रबन्धन योजना बनायी गयी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस क्षेत्र में किस सफाई नायक अथवा कौन–कौन सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित सफाई निरीक्षक श्री निरंकार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि पालिका में 07 सफाई नायक कार्यरत है। नगर पालिका द्वारा नगर में सफाई व्यवस्था हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः नगर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

- नगर में सफाई हेतु गली वार डिप्लॉयमेन्टकिया जाये। प्रत्येक कर्मचारी की फोटोयुक्त उपस्थिति पंजिका तैयार की जाये। यह डिप्लायमेंट एक सप्ताह के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये प्रत्येक गली का एक सफाई कर्मचारी जिम्मेदार रहे, हर मौहल्ले में स्थायी, संविदा एवं सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राप्त सफाई कर्मचारियों का मिश्रण रहे।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0)**

- प्रत्येक बार्ड में सुपरबाइजर की तैनाती की जाये जिसके लिए सफाई कर्मचारियों में से बार्डबार 25 सुपरबाइजर का चयन अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) द्वारा साक्षात्कार एवं परफारमेंश के आधार पर किया जायेगा। यह कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण किया जाये।

**(कार्यवाहीअपर जिलाधिकारी प्रशासन)**

- नगर में सफाई व्यवस्था दो चरणों में प्रातः 06.00 बजे से 10.00 बजे तक एवं अपरान्ह 2.00 बजे से 6.00 बजे तक प्रतिदिन नियमित रूप से सुनिश्चित की जाये।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0)**

- नगर पालिका कार्यालय में पृथक से नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाये। नियंत्रण कक्ष में एक दूरभाष अधिष्ठापित कराकर दूरभाष नम्बर का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाये। नियत्रंण कक्ष में प्रत्येक सफाई सुपरबाइजर एवं सफाई कर्मचारी का मोबाइल नम्बर फोटोयुक्त पंजिका में रखा जायेगा जिसकी एक प्रति स्थानीय निकाय पटल पर उपलब्ध करायी जाये। नियंत्रण कक्ष पर तैनात कर्मचारी द्वारा प्रातः 06.00 बजे से सफाई कर्मचारियों एवं सुपरवाईजरस की अपने–अपने तैनाती क्षेत्र में उपस्थिति की समीक्षा की जायेगी तथा पूर्ण विवरण पंजिका में अंकित किया जायेगा जिसकी नियमित समीक्षा की जायेगी तथा अनुपस्थित कर्मचारी के विरूद्धदण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। हर मौहल्ले में कम से कम पॉच स्वच्छता दूत नामित किये जायेंगे जो प्रतिष्ठित लोग होंगे जो निकाय को सफाई व्यवस्था के बारे में कन्ट्रोल रूम पर लगातार सूचनाऐं देते रहेंगे। ऐसे स्वच्छता दूतों की कार्यशाला भी अतिशीघ्र आयोजित की जाये। प्रत्येक माह मेरे द्वारा सुपर वाइजरस की समीक्षा अपनी मासिक बैठक में की जायेगी। ई0ओ0 नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन कन्ट्रोल रूम द्वारा सफाई व्यवस्था का जायजा लिया जायेगा एवं क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो सुपरवाईजर्स की कार्य कुशलता पायी जा रही है उसके बारे में अपनी स्पष्ट अभियुक्ति कन्ट्रोल रूम में अंकित किया जायेगा। यह कार्य 15 दिन के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाही संजीव कुमार ए0एस0डी0एम0 )**

- शासनादेशानुसार सफाई कर्मचारियों को सफाई हेतु आवश्यक उपकरण, जैकिट एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे नगरवासी सफाई कर्मचारी को पहचान सके। इसकी कार्ययोजना बनाकर मेरे समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0)**

- नगर निकाय में उपलब्ध कूड़ादान की सूची एवं उनका डिप्लायमेट एक सप्ताह के भीतर मुझे उपलब्ध कराया जाये और कूड़ेदान एवं कलेक्शन बिन्स के आवश्यकता के अनुसार 14 वें वित एवं अवस्थापना योजना के तहत प्रस्तावित कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाये। किसी भी हालत में कूड़ा शहर में खुले में पडद्या हुआ नहीं दिखना चाहिए।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0)**

- अपर उपजिलाधिकारी एवं अधिशासी अभियंता, जल निगम संयुक्त रूप से डम्पिंग ग्राउण्ड का स्वयं निरीक्षण करें एवं शासन की नीति के अुनसार सालिड वेस्ट प्लॉन्ट प्रस्तावित करें।

**(कार्यवाहीए0एस0डी0एम0)**

- अपर उपजिलाधिकारी ई0ओ0 नगर पालिका के साथ समनंवय स्थापित करते हुए निकाय के लिए शासन की नीति के अनुसार "Construction and Demolition Waste Policy" " Bulk Waste Generator Policy" एवं कूड़ा प्रबन्धन योजना तैयार कर मेरे समक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

**(कार्यवाही ए0एस0डी0एम0)**

- स्वच्छ भारत मिशन के अर्न्तगत व्यक्तिगत शौचालय हेतु प्राप्त आवेदनों की वैरीफिकेशन एवं एपप्रूवल करते हुए निर्माण माह मार्च तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अप्रैल माह के अन्त तक एटा नगर पालिका को खुले में शौच मुक्त कराना सुनिश्चित करें। गुणवत्ता पूर्ण शौचालय निर्माण हेतु मिस्त्रीयों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0)**

- नगर निकाय में उपलब्ध कम्यूनिटी एवं पब्लिक टायलेट की सूची एवं फोटो एलबम एक सप्ताह के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाय। ऐसे क्षेत्रों को चयनित किया जाय जहॉ कम्यूनिटी टायलेट की आवश्यकता है एवं स्थान उपलबध है। यह सूची भी मेरे समक्ष एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध की जाये।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0)**

- सफाई कर्मचारी की नियुक्ति हेतु शासनादेशानुसार जो कार्यवाही की गई है, की पूर्ण पत्रावली एक सप्ताह के अंदर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0)**

- नगर पालिका द्वारा कितने कबाड़े का निस्तारण किया गया है, की पूर्ण पत्रावली एक सप्ताह के अंदर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0)**

- श्री निरंकार सफाई प्रभारी लम्बी अवधि से एक ही पद पर कार्यरत हैं । श्री निरंकार को तत्काल हटाकर किसी अन्य को सफाई प्रभारी के पद पर तैनात किया जाये।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0)**

- **वाहन व्यवस्था**

निरीक्षण के दौरान उपस्थित वाहन प्रभारी लिपिक श्री बहोरी लाल द्वारा अवगत कराया गया कि पालिका के वाहन दो स्थान कमशः नगर पालिका परिषद एवं जलकल कार्यालय परिसर में खड़े होते है तथा वहीं से नगर में कूडा संकलित कर डलावघर में ले जाने हेतु भेजे जाते हैं। वाहनों का कोई रूटचार्ट एवं लॉगबुक तैयार नहीं की गई और न ही ईधन की खपत का कोई लेखा–जोखा रखा गया है। निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि पालिका के पास 19 गाड़ियां है जिनमें से 06 खराब है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है।

इस संबंघ में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक हैः–

1. सभी वाहन जलकल कार्यालय पर ही खड़े किये जाये।
2. प्रत्येक वाहन का रूट निर्धारित किया जाये तथा प्रत्येक वाहन की लॉगबुक तैयार की जाये जिसमें प्रतिदिन का किलोमीटर एवं तेल खपत भी अंकित किया जाये, जिसका रख–रखाब जलकल कार्यालय में कम्प्यूटर द्वारा होना चाहिए।
3. खराब वाहनों को तत्काल ठीक कराकर सुचारू किया जाये।
4. प्रत्येक वाहन अपने रूट पर दिन में आवश्यकतानुसार राउण्ड लगायेगा एवं कूडा संकलित कर उसे ढक कर ले जायेगा ताकि रास्ते में पुनः कूडा न गिरे । संकलित कूडे को नगर पालिका के डम्पिंग ग्राउण्ड में डालें।
5. वाहनों की मॉनीटरिंग भी नियंत्रण कक्ष से ही करायी जायेगी।
6. नगर पालिका के कितने पार्क है, की सूची एवं पार्क विकसित किये जाने हेतु अमृत योजना में प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करायें।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0)**

15 दिन के बाद राजस्व टीम द्वारा शहर के हर गली का निरीक्षण किया जायेगा और सफाई की कमी पायी जाती है तो उत्तरदायित्व निधारित किया जायेगा।

**निर्माण कार्य**

निर्माण कार्य अनुभाग का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के समय श्री भीष्म सिंह अवर अभियंता उपस्थित मिले। नगर पालिका में 60 ठेकेदार पंजीकृत हैं। पालिका कार्यालय में पूर्ण कार्य एवं निर्माणाधीन कार्यो की कोई सूची नहीं बनायी गई है।

निरीक्षण के दौरान 13 लाख की लागत से निर्मित कार्य जजेज कम्पाउण्ड का अवलोकन किया गया जो अपूर्ण पायी गई। पत्रावली में कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व का फोटो चस्पा नहीं है, टेण्डर के तुल्नात्मक विवरण पर अपर जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर नहीं कराये गये गये है। पत्रावली में एम0बी0 उपलब्ध नहीं पायी गई।उक्त कार्य का भुगतान लगभग 06 माह बिलम्व से किया गया है। यह ठीक नहीं है।

इस संबंघ में निम्न बिन्दुओं पर **15 दिन के अंदर**कार्यवाही किया जाना आवश्यक हैः–

- टेण्टर प्रकिया के तुल्नात्मक विवरण पत्र अपर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर कराये जाये।
- टेण्डर प्रकिया के उपरान्त दो दिन के अंदर कार्यादेश निर्गत किया जाये।

- प्रत्येक निर्माण कार्य की पत्रावली तैयार करते समय टेण्डर प्रकिया से लेकर भुगतान तक की पूर्ण विवरण पत्रावली पर होना आवश्यक है।
- पालिका में पूर्ण, निर्माणाधीन एवं अनारम्भ कार्यो की पूर्ण सूची तैयार कर **दो दिन के अंदर** मुझे उपलब्ध करायी जाये ताकि गुणवत्ता की जांच करायी जा सके। सभी कार्यो की जांच मेरे, मजिस्ट्रेट्स एवं तकनीकि अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
- प्रत्येक पत्रावली में कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के फोटोग्राफ चस्पा किये जाये तथा कार्य पूर्ण होने फोटोग्राफ भी चस्पा किये जाये जिसमें अवर अभियंता भी फोटोग्राफ में नजर आने चाहिए।
- प्रत्येक पत्रावली में कार्य की एम0बी0 उपलब्ध होनी चाहिए।
- निर्माण कार्य की सभी पत्रावलियां सुव्यवस्थित रखीं जाये।
- नगर पालिका के समस्त ठेकेदारों की मेरी अध्यक्षता में बैठक करायें ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा हो सके।
- रनिंग भुगतान के लिए नियम बनायें ताकि नियमानुसार ही रनिंग भुगतान किया जा सके।
- नगर पालिका में ई–टेण्डरिंग की व्यवस्था एक माह के अंदर लागू की जाये।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0/अवर अभियंता)**

नगर की मुख्य सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब है सभी सड़कें गढढायुक्त है। रेलवे रोड की स्थिति अत्यंत दयनीय है। निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि उक्त सड़क का निर्माण अभी एक वर्ष पूर्व ही कराया गया है। उक्त सड़क के निर्माण के संबंध में पूर्ण विवरण तत्काल उपलब्ध करायें । उक्त सड़क की गुणवत्ता की जांच मेरे द्वारा स्वयं की जायेगी।

यह भी अवगत कराया गया कि हाथी गेट की सड़क के निर्माण की टेण्डर प्रकिया पूर्ण हो चुकी है परन्तु ठेकेदार के अस्वस्थ्य होने के कारण लगभग 06 माह से कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। ऐसे समस्त कार्यो को चिन्हित कर सूची उपलब्ध करायें ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर कार्य प्रारम्भ कराया जा सके।

नगर पालिका सीमा में अभी भी काफी कच्ची गलियां है जबकि पालिका में पर्याप्त धन उपलब्ध है। अतः अधिशासी अधिकारी व अवर अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि कच्ची गलियों को चिन्हित कर ऑगणन तैयार कराकर कार्य योजना में सम्मिलित कर उनके निर्माण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

नगर पालिका की सीमा विस्तार का प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को भिजवाना सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0/अवर अभियंता)**

**स्वकर निर्धारण अनुभाग**

निरीक्षण के दौरान कर अधीक्षक उपस्थित मिले। नगर में 26200 मकान है तथा पालिका में वर्ष 2013 से स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू है। बताया गया कि विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर कर निर्धारण कराया जा रहा है। पालिका द्वारा 2000 बर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले मकानों एवं कॉमर्शियल इकाईयों की सूची तैयार नहीं की गई है।कर अधीक्षक को स्वकर प्रणाली के आवेदन भरने की प्रकिया की पूर्ण जानकारी नहीं है। निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया है कि अब तक 57 आर0सी0 निर्गत की गई है।

इस संबंध में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है:-

- घर-घर जाकर शिविर के माध्यम से आवेदन पत्र भरवायें तथा भवन स्वामी को स्वकर प्रणाली की जानकारी दें।
- 2000 बर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों एवं कॉमर्शियल इकाईयों की सूची तैयार की जाये एवं उनके एसेसमेन्ट की अध्यावधिक स्थिति मेरे समक्ष एक सप्ताह में प्रस्तुत की जाये।
- कर वसूली हेतु आर0सी0 तैयार कर निर्गत करें ताकि तहसील के माध्यम से वसूली करायी जा सके।
- लंबित आर0सी0 की समस्त उप जिलाधिकारी समीक्षा कर शीघ्र वसूली कराया जाना सुनिश्चित करें।

- स्वकर प्रणाली के संबंधित स्टाफ एवं कर संग्रहकर्ता के प्रशिक्षण आयोजित कराये।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी0/कर अधीक्षक/समस्त उप जिलाधिकारी)**

**जन्म–मृत्यु पंजीकरण**

इस पटल पर श्री दीपक कनौजिया द्वारा कार्य सम्पादित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि वर्तमान ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं। यह प्रकिया गलत है। ई–डिस्ट्रिक्ट प्रणाली लागू हो जाने के उपरान्त आवेदन पत्र ऑन लाइन ही प्राप्त होने चाहिए तथा ऑन लाइन ही प्रमाण पत्र निर्गत किये जाये। यह कार्य जनहित गारण्टी योजना के अर्न्तगत आच्छादित है। पटल सहायक को जनहित गारण्टी योजना की जानकारी ही नहीं है। अतः निर्धारित समय सीमा के अंदर ही प्रमाण पत्र निर्गत किये जाये।

इस संबंध में निम्न बिन्दुओं पर **तीन दिन के अंदर** कार्यवाही किया जाना आवश्यक है:–

- ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इस पटल का स्वयं निरीक्षण कर ऑन लाइन आवेदन व प्रमाण पत्र प्रकिया के बारे में विस्तृत जानकारी पटल सहायक को प्रदान करें।
- प्रमाण पत्र ऑन लाइन ही निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्गत किये जाये।
- मैंनुअल प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना तत्काल बंद किये जायें ।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी/ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर)**

**लेखा अनुभाग**

इस अनुभाग में श्री जितेन्द्र गुप्ता, लेखाकार के पद पर कार्यरत है। निरीक्षण के दौरान कैशबुक का अवलोकन किया। कैशबुक टैली में कम्प्यूटराइज़्ड तैयार की गई है। कैशुबक के अनुसार विभिन्न मदों में 2.70 करोड़ की धनराशि नगर पालिका स्तर पर अवशेष है। लेखा अनुभाग में पे–रौल, लेखा एवं सभी विवरण कम्प्यूटराइज़्ड प्रणाली के तहत किया जायेगा एवं वर्ष 2015–16 का आडिट भी शीघ्र पूर्ण कराया जाये।

अधिशासी अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि अवशेष धनराशि का मदवार विवरण **दो दिन** के अंदर उपलब्ध करायें ताकि नगर में विकास कार्य कराये जा

सके।उक्त के अतिरिक्त नगर पालिका पर कितनी देनदारियां अवशेष का भी विवरण उपलब्ध करायें।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी न0पा0प0)**

**सम्पत्ति पंजिका**

पालिका में रक्षित सम्पत्ति पंजिका का अवलोकन किया गया जो अध्यावधिक नहीं पाया गया। पालिका की सभी सम्पत्तियों की सूची तैयार कर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायें तथा प्रत्येक सम्पत्ति उसमें दर्ज होनी चाहिए जिसकी एक प्रति तहसील एवं जनपद मुख्यालय पर जिला भूमि व्यवस्था लिपिक के पटल पर उपलब्ध करायी जाये ताकि राजस्व कर्मचारियों से पालिका सम्पत्ति की जांच करायी जा सके कि किसी सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा अथवा अतिकमण तो नहीं है। यदि अतिकमण पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनुपम काम्पलैक्स का भवन अधूरा पड़ा हुआ है। अतः अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद,एटा से अपेक्षा की जाती है कि उक्त काम्लैक्स की पूर्ण पत्रावली मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

नगर पालिका की कितनी दुकानें है तथा कितना किराया प्राप्त होता है, का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाये।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी न0पा0प0/उप जिलाधिकारी,एटा)**

**जलकल अनुभाग**

इस अनुभाग के प्रभारी श्री सोवरन सिंह निरीक्षण के समय उपस्थित मिले। जलकल परिसर में काफी जगह खाली पड़ी है तथा कई निष्प्रयोज्य वाहन अनावश्यक खड़े हुए पाये गये एवं कई भवन खण्डहर के रूप में स्थित हैं। अधिशासी अधिकारी नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि पानी की तीन टंकी है जिनमें से मात्र 01 टंकी कियाशील है, जैनरेटर 08 मेंसे 04 खराब, मोटर पम्प सैट 07 में से 02 खराब, नगर में 31 नलकूप है जिनमें से मात्र 11 नलकूप संचालित है तथा पाइप लाइन भी ठीक नहीं है।

नगर में 1430 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है जिनमें से 70 रि–बोर योग्य है तथा 55 हैण्डपम्प सामान्य रूप से खराब है। अधिशासी अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि सामान्य रूप से खराब हैण्डपम्पों को तत्काल संचालित करायें तथा रि–बोर योग्य हैण्डपम्पों की सूची जल निगम को भेजकर रि–बोर कराना सुनिश्चित करें।

अवगत करायें कि जलकल द्वारा जलमूल्य/जलकर की वसूली की व्यवस्था की गई है।

**(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी न0पा0प0/अधि0अभि0 जल निगम)**

अतः जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग व जल निगम की संयुक्त समिति गठित की जाती है, जो ओवरहैड टैंक, नलकूप, रेन बाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पाइप लाइन व मोटर पम्प सैट आदि की जांच कर दो सप्ताह के अंदर विस्तृत आख्या उपलब्ध करायेंगी।

**(कार्यवाहीअधिशासी अभियंता, सिंचाई,/नलकूप/जल निगम)**

अवगत कराया गया कि सीवरेज ट्रीटमेन्ट की कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। अधिशासी अभियंता, जल निगम से अपेक्षा की जाती है कि तत्काल पत्रावली प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियंता, जल निगम)

इस संबंध में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है:–

- खराब नलकूप, मोटर पम्प आदि को तत्काल ठीक कराया जाना सुनिश्चित करें।
- निष्प्रयोज्य वाहन व भवन का नियमानुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
- खराब हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करें।
- नगर पालिका के प्रत्येक मुहल्ले में पाइप लाइन होनी चाहिए तथा पानी घर–घर तक पहुँचना चाहिए।
- असेवित क्षेत्रों के लिए अमृत योजना के अर्न्तगत कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत की जाये।

निरीक्षण के दौरान उपस्थित समस्त उप जिलाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि अपनी–अपनी तहसील में संचालित नगर पालिका एवं नगर पंचायतों का गहनता से निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायें।

मेरे द्वारा पुनः पालिका का निरीक्षण किया जायेगा तथा उपरोक्त कमियां पूर्ण न होने की दशा में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी।

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी,एटा

## कार्यालय जिलाधिकारी, एटा

संख्याः १५८ /ओ0एस0डी0–निरीक्षण दिनांकः 17.02.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, अलीगढ मण्डल, अलीगढ।
4. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, कलक्ट्रेट,एटा।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद एटा।
6. श्री संजीव कुमार, अपर उप जिलाधिकारी,एटा।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई/जल निगम/नलकूप, एटा।
8. ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कलक्ट्रेट,एटा।
9. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद एटा।
10. कर अधीक्षक/जलकल प्रभारी, नगर पालिका परिषद,एटा।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एटा को उक्त निरीक्षण आख्या अपलोड करने हेतु।

जिलाधिकारी,एटा